न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 64/2024 निर्णय दिनांक :–30.05.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :

विजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री भवानी सिंह जाति राजपूत उम्र – वर्ष निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला टॉक (राज.)

–प्रार्थी–

बनाम

1. हिम्मत सिंह पुत्र स्व. भवानी सिंह जाति राजपूत उम्र... निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला टॉक (राज.)
2. विशम्भर सिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह जाति राजपूत उम्र निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक
4. ग्राम पंचायत डाबरकंला जरिए सरपंच ग्राम पंचायत डाबरकला पं.स. देवली जिला टोंक (राज.) वर्ष वर्ष

–प्रतिपक्षीगण–

–उपस्थिति –

श्री धर्मराज गुर्जर
श्री रामधन चौधरी
श्री शंकर पोद्दार
अधिवक्ता प्रार्थी

श्री अजीत सिंह
अधिवक्ता अपार्थी संख्या 1
एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 2 ता 4

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त की कृषि भूमि हाल खाता संख्या 259 खसरा नम्बर 51 रकबा 6.10 है0 में से 1/4 हिस्सा व खसरा नम्बर 25 रकबा 3.71 है0 वाके तनग्राम डाबरकला पटवार हल्का डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी की उक्त वर्णित कब्जे काश्त की कृषि भूमि वादी को जरिए वसीयत प्राप्त हुई है। प्रार्थी के पिता भवानी सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत ने अपने जीवनकाल में अपनी कृषि भूमियां, आवासीय प्लाट, मकान एवं अन्य चल–अचल सम्पत्तियो की वसीयत दिनांक 24.07.2023 को प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण

नं. 1 ता 2 के नाम अलग–अलग सम्पत्तिया देकर की गई है। जिसकी लिखावट प्रार्थी के पिता नारायण सिंह ने उपस्थित गवाहान राजेन्द्र माली पुत्र भंवरलाल माली निवासी पनवाड़ एवं तारायण सिंह पुत्र बन्ने सिंह राजपूत निवासी पनवाड़ के कागज पर टाईप करवाकर एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण नं. 1 ता 2 को पढ़ाकर आलेखित की गई है। जिसमें प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 पूर्ण रूप से सहमत थे। प्रार्थी के पिता भवानी सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत की मृत्यु दिनांक 06.08.2023 को हो गई है और वसीयतकर्ता भवानी सिंह की मृत्यु के बाद उनकी वसीयत दिनांक 24.07 2023 प्रभाव में आ गई हैं। प्रार्थी के पिता भवानी सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद अप्रार्थी नं. 1 के मन में बेईमानी उत्पन्न हो गई और वसीयतनामा को छिपाते हुए प्रार्थी को वसीयत में प्राप्त की उक्त भूमि का नानान्तकरण भी अपने नाम खुलवाने पर आमादा हो गया। जबकि प्रार्थी के पिता भवानी सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत ने वसीयत दिनांक 24.07. 2023 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र के पेरा सं.1 में वर्णित कृषि भूमि को स्वेच्छापूर्वक प्रार्थी को वसीयत की है जिसमें अप्रार्थी नं 1 व 2 पूर्ण रूप से सहमत थे। अप्रार्थी नं. 1 के मन में बेईमानी उत्पन्न हो गई है और अब अप्रार्थी नं. 1 प्रार्थी की उक्त वर्णित कब्जे काश्त की भूमि बाबत् गलत तथ्य वर्णित करते हुए अपने पक्ष में नामान्तकरण खुलाने पर आमादा होकर प्रार्थी के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करना प्रारम्भ कर दिया है। जिसका कि अप्रार्थी नं. 1 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। जबकि प्रार्थी वसीयत दिनांक 24.07.2023 से ही उक्त भूमि पर काबिज है। इस कारण न्यायहित में प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि को प्रार्थी के नाम खातेदारी की उद्घोषित की जाकर प्रार्थी को उक्त भूमि का वसीयत के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे एवं उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड से खातेदार भवानी सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत का नाम डिलीट किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे। अप्रार्थी नं. 1 आये दिन मौके पर आकर प्रार्थी को वसीयत में प्राप्त कब्जे काश्त की भूमि का नामान्तकरण स्वयं के नाम खुलवाकर भूमि को खुर्द–बुर्द करना चाहता है। इस कारण अप्रार्थी नं. 1 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह स्वयं जरिए एजेन्ट, नौकर–चाकर या अन्य किसी के माध्यम से प्रार्थी की उक्त वर्णित कब्जे काश्त की कृषि भूमि में प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे, जबरन प्रार्थी को बेदखल नहीं करे तथा पाबंद रहे एवं अप्रार्थीगण नं. 3 व 4 को भी जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद

किया जावे कि अप्रार्थी नं 1 द्वारा प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि भूमि के संबंध में नामान्तरण हेतु आवेदन करने पर उसका नामान्तरण तस्दीक नहीं करे तथा पाबंद रहे। यदि अप्रार्थीगण 1. 3 व 4 को उपरोक्तानुसार पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी भी रूप में संभव नहीं होगा। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूलवाद पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थी की कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 51 रकबा 6.10 है0 में हिस्सा 1/4 हिस्सा व खसरा नम्बर 25 रकबा 3.71 है0 वाके तनग्राम डाबरकला पटवार हल्का डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है, मे अप्रार्थी नं. 1 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह स्वयं जरिए एजेन्ट, नौकर–चाकर या अन्य किसी के माध्यम से प्रार्थी की उक्त वर्णित कब्जे–काश्त की कृषि भूमि में प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे, जबरन प्रार्थी को बेदखल नहीं करे तथा पाबंद रहे एवं अप्रार्थीगण नं. 3 व 4 को भी जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी नं 1 द्वारा प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि भूमि के संबंध में नामान्तरण हेतु आवेदन करने पर उसका नामान्तरण तस्दीक नहीं करे तथा पाबंद रहे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अजीत सिंह ने वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः–प्रार्थना पत्र का चरण नं. 1 में वादी के द्वारा वाद व प्रार्थना पत्र पेश करना स्वीकार है, शेष कथन गलत है. अस्वीकार है। प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं है। अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में ना होकर अप्रार्थी नं. 1 के पक्ष में प्रबल एवं सिद्ध है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 2 में प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित होना स्वीकार है, शेष कथन गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 3 जिस प्रकार से लिखा गया है. गलत है. अस्वीकार है। अप्रार्थी नं. 1 एवं प्रार्थी के पिता भवानी सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत निवासी डाबरकला विगत एक वर्ष से लगातार गंभीर बीमारियो से पीड़ित चले आ रहे थे जिनके शारीरिक अंगो ने काम करना बंद कर दिया था तथा उनके हाथो में कम्पन्न होने के कारण खाना–पीना, अन्य कार्य सम्पादित करना या हस्ताक्षर करना उनके लिए असंभव हो गया था। इस अवधि में अधिकांश समय भवानी सिंह अप्रार्थी नं. 1 के साथ ही रहे थे तथा अप्रार्थी नं. 1 के द्वारा ही

उनकी हर प्रकार से देखरेख, सार–संभाल व सेवा–सुश्रुषा की गई है। अप्रार्थी नं. 1 के पिता भवानी सिंह के द्वारा कोई वसीयत अपनी सम्पत्ति के संबंध में नहीं लिखी गई थी। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत कथाकथित वसीयत पूर्ण रूप से फर्जी, मिथ्या एवं कूटरचित दस्तावेज है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 4 में प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 के पिता भवानी सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत की मृत्यु दिनांक 06.08.2023 को होना स्वीकार है, शेष कथन गलत है, अस्वीकार है। मृतक भवानी सिंह के द्वारा कोई वसीयत नहीं लिखी गई है और ना ही अपने हस्ताक्षर किये हैं। अप्रार्थी नं. 1 द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक 24.07.2023 पूर्ण रूप से फर्जी एवं कूटरचित होने के कारण उपरोक्त वसीयत प्रभाव में आने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा प्रार्थी फर्जी वसीयत में वर्णित सम्पत्ति में कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 5 जिस प्रकार से लिखा गया है. पूर्ण रूप से गलत है. अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 6 जिस प्रकार से लिखा गया है. पूर्ण रूप से गलत है, अस्वीकार है। अप्रार्थी नं. 1 के द्वारा अपने पिता मृतक भवानी सिंह पुत्र नारायण सिंह की मृत्यु के 1 बाद उनके द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति कृषि भूमि में मृतक भवानी सिंह के सभी वारिसान के पक्ष में नामान्तकरण खुलवाने हेतु आवेदन करने पर राजस्व कर्मचारियो के द्वारा विधिक रूप से जांच एवं सत्यापन किये जाने के बाद मृतक भवानी सिंह के सभी वारिसान के नाम नामान्तकरण खोल दिया गया है जो पूर्ण रूप से विधिक है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत किया गया वसीयतनामा में पैतृक सम्पत्ति वर्णित होने से वसीयतनामा दिनांक 24.07.2028 प्रथम दृष्टया निष्प्रभावी है। इस कारण प्रार्थी वसीयत के आधार पर प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को अकेले अपने नाम उद्घोषित करवाने एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 7 जिस प्रकार से लिखा गया है. पूर्ण रूप से गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में कभी भी प्रार्थी का कब्जा–काश्त नहीं रहा है और ना ही अप्रार्थी नं 1 के द्वारा कभी भी प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं की गई है। इस कारण प्रार्थी अप्रार्थी नं 1 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी नहीं है। **अतिरिक्त कथन** – वास्तविकता यह है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं 1 आपस में सगे भाई है जो एक ही पिता भवानी सिंह पुत्र नारायण सिंह कौम राजपूत निवासी डाबरकला के सगे पुत्र है तथा अप्रार्थी नं. 2 प्रार्थी का सगा जायंदा पुत्र है। भवानी सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत के प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं. 1 के अलावा दो पुत्रिया मधु व किरण है। भवानी

सिंह पुत्र नारायण सिंह कौम राजपूत को ग्राम डाबरकला में जो भी कृषि भूमि प्राप्त हुए थे वो उनके पूर्वजो से विरासत के आधार पर प्राप्त हुई थी, भवानी सिंह के द्वारा कृषि भूमि स्वअर्जित बनाई बसाई नहीं थी। अप्रार्थी नं. 1 एवं प्रार्थी के पिता भवानी सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत निवासी डाबरकला विगत एक वर्ष से लगातार गंभीर बीमारियो से पीडित चले आ रहे थे जिनके शारीरिक अंगो ने काम करना बंद कर दिया था तथा उनके हाथो में कम्पन्न होने के कारण खाना–पीना, अन्य कार्य सम्पादित करना या हस्ताक्षर करना उनके लिए असंभव हो गया था। अप्रार्थी नं 1 के पिता भवानी सिंह के द्वारा कोई वसीयत अपनी सम्पत्ति के संबंध में नही लिखी गई थी था प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत वसीयत दिनांक 24.07.2023 में वर्णित की गई कृषि भूमि स्वअर्जित नहीं होकर पैतृक कृषि भूमि होने से पैतृक सम्पत्ति की वसीयत करने का अधिकार नहीं था। इसके बावजूद भी प्रार्थी ने अपने पुत्र अप्रार्थी नं. 2 के साथ मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेज वसीयतनामा तैयार करवाया है। जबकि अप्रार्थी नं. 1 के पिता मृतक भवानी सिंह ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत नही लिखी गई थी। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत कथाकथित वसीयत पूर्ण रूप से फर्जी, मिथ्या एवं कूटरचित दस्तावेज है। प्रार्थी प्रस्तुत फर्जी वसीयतनामा के आधार पर माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए गलत तथ्य पेश कर वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। भवानी सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत की कृषि भूमि जो ग्राम डाबरकला में स्थित है, का राजस्व कर्मचारियो के द्वारा विरासत का नामांन्तकरण जो खोला गया है वह पूर्ण रूप से जांच कर एवं प्रमाणित तथ्यो के आधार पर खोला गया है। परन्तु अप्रार्थी नं. 1 के मन में बेईमानी होने से अप्रार्थी नं. 1 एवं मृतक भवानी सिंह की उक्त पुत्रिया मधु व किरण को उनके विधिक अधिकारो से बेदखल करने की नियत से फर्जी वसीयत बनाकर पेश की है तथा फर्जी वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता है जो विधिविरूद्ध है। प्रार्थी के द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तकरण खुलवाने हेतु श्रीमान् तहसीलदार साहब देवली के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किा गया था। जिसमें संबंधित कर्मचारियो के द्वारा विधिक रूप से जांच की गई जिसमें भी वसीयत संदेहास्पद होने एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पैतृक होना पाया गया है। इसलिए पैतृक सम्पत्ति की वसीयत प्रभावी नहीं हो सकती है और ना ही नामांन्तकरण खोला जा सकता है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना चलने योग्य नहीं है, अपितु खारिज किये जाने योग्य है। एक प्लाट संख्या 464 जो अप्रार्थी नं. 2

को दिया गया है, वह भवानी सिंह की माता तोप कंवर का है। जिसमें तोप कवर के सभी वारिसान का हक व हिस्सा है। इस कारण उक्त प्लाट संख्या 464 भवानी सिंह पुत्र नारायण सिंह की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं होने से वसीयत करने के कथन पूर्ण रूप से गलत एवं मिथ्या है तथा वसीयत करने का अधिकार वसीयतकर्ता को नहीं था। अतः जवाब, प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता भवानी सिंह ने 24.07.23 को वसियत की थी जो उनकी मृत्यु दिनांक 06.08.2023 से प्रभावी हो गई है। वसीयत के समय अप्रार्थी संख्या 1 व 2 मौजूद थे और वसीयत पर इनकी सहमति थी परन्तु उनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थी संख्या 1 के मन में बेंईमानी आने से वह विरासत का नामान्तकरण खुलवाकर प्रार्थी के हिस्से में वसीयत आयी भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहता है जबकि प्रार्थी वसियत अनुसार ही काबिज काश्त है। जिसका कि उसको कोई विधिक अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर नामान्तकरण भी खुलवा लिया है, जो गलत है विधिवत नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहता है जिसको रोकना आवश्यक है। यदि रोका नहीं गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र ताफैसलावाद स्वीकार किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व वाद बिल्कुल गलत है मिथ्या है, कुटरचित दस्तोवजो पर आधारित है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता ने कोई वसियत कभी भी नहीं लिखी है, वो इतने वृद्ध और बीमार थे कि वो हस्ताक्षर करने की स्थिति में ही नहीं थे। इसलिए यह वसीयत फर्जी व कुटरचित है, जिसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। वैसे भी कानूनन पैतृक सम्पति की कोई वसियत मान्य नहीं है। इसलिए यह प्रभावी नही हो सकती है। प्रार्थी इस वसीयत के माध्यम से प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 के हितो पर कुठाराघात करना चाहता है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी ने रिब्टल में माननीय उच्चतम न्यायालय का दष्टान्त सिविल अपील नं. 7092 ऑफ 2010 उनवान राधम्मा वगै. बनाम मुद्दुकृष्ण

पेश कर उसके बिन्दू संख्या 30 (1) Any hindu may disposed of by will or other testamentary disposition any property. अतः न्यायालय से प्रार्थना है कि वाद के निस्तारण तक उक्त विवादित आराजी के राजस्व एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने तक अप्रार्थी संख्या 1 को पाबन्द किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया ।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निर्णय करने के लिए मुख्य तीन बिन्दूओं का विवेचन आवश्यक है, जो इस प्रकार है :–

प्रथम दृष्टया मामलाः– पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम रूपारेल की जमाबन्दी संवत 2071–74 में वाद वर्णित आराजी ख. नं. 51 व 25 पृथ्वीराज सिंह पुत्र नारायण सिंह हिस्सा 1/2 व भवानी सिंह पुत्र नारायण सिंह 1/2 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।पत्रावली पर उपलब्ध वसीयतनामा दिनांक 24.7.23 में ख. नं. 51 रकबा 6.10 है0 मे सें 1/2 हिस्सा व ख. नं. 25 रकबा 3.71 है0 को प्रार्थी के हक में वसियत किया हुआ है। प्रार्थी वसीयत के आधार पर नामान्तकरण खुलवाना चाहता है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 विरासत का नामान्तकरण खुलवाना चाहता है। अप्रार्थी का जवाब व बहस में कथन है कि वसीयत फर्जी है, कूटरचित है तथा पैतृक सम्पति/आराजी के लिए वसीयत प्रभावी नहीं है परन्तु पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश भी पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि वसियत फर्जी है, कूटरचित है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय का दष्टान्त सिविल अपील नं. 7092 ऑफ 2010 उनवान राधम्मा वगै. बनाम मुद्दुकृष्ण पेश कर उसके बिन्दू संख्या 30 (1) Any hindu may disposed of by will or other testamentary disposition any property. Section 30 of the act,the extract of which has beem referred to above] permits the disposition by way of will of a male hindu in Mitakshara corparcenary property.

उभयपक्ष अनुसार उक्त विवादित आराजी का विरासत का नामान्तकरण खुल चुका है। प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थी भूमि को आग्र बेचान कर खुंर्द बुर्द कर सकते है।

उक्त का विवेचन करने से मुख्य बिन्दू यह सामने आते है कि क्या वसियत फर्जी है, क्या वसीयत पैतृक सम्पति के लिए भी प्रभावी है ?

उक्त प्रश्नगत बिन्दू वाद में साक्ष्य सबूतो व कानूनी अवधारणा के माध्यम से तय हो पायेंगे। चूंकि वर्तमान परिस्थितियों में पक्षकारान के मध्य अनावश्यक रूप से वाद बहुलता न बढे। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी की राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखना बेहतर विकल्प प्रतीत होता है, जिससे प्रार्थी का हक व अधिकार भी सुरक्षित रहेगे। अतः उक्त समस्त तथ्यो का विवेचन करने पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। है।

सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दूः– प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में है।

आदेश

उक्तानुसार बिन्दूवार विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र ताफैसलावाद स्वीकार कर अप्रार्थीगण संख्या 1 को पाबन्द किया जाता है कि वह खाता संख्या 259 खसरा नम्बर 51 रकबा 6.10 है0 में से 1/4 हिस्सा व खसरा नम्बर 25 रकबा 3.71 है0 वाके तनग्राम डाबरकला तहसील देवली के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति ताफैसला मूलवाद बनाये रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मुल दावे के साथ हमफिता हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 30.05.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली